PWD UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गैरसैंण

Phone No/ Fax No: 01363.278533 Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 1254/1एल.ए. दिनांक 14/09/2021.

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत ब्लाक गैरसैंण में मैखोली से नलगॉव – लखेड़ी – वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादनू का पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/282/2015/एफ0सी0/2169, दिनांक 14/03/2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 6 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है–

1 शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.304 हे0 ग्राम सिलंगी एवं ग्राम– डडियाल गॉव सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 11,99,334.00 मात्र (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6198110674 Date 27/12/2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी, **भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।** उक्त सिविल भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। जिसे वन विभाग के पक्ष में सिविल भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी, चमोली के आदेश सं0 784/छब्बीस –04(2018–2019) गोपेश्वर दिनांक 02 नवम्बर, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी है। **जिलाधिकारी महोदय, चमोली का पत्र एवं दस्तावेज संलग्न है।**

2 शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 /2007–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 18,18,440.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6198110674 Date 27/12/2018 द्वारा एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।

3 शर्त संख्या 03 में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, **जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।**

4 शर्त संख्या 04 के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जामा किया गया है, **चालान की प्रति संलग्न है।**

5 शर्त संख्या 05 में सडक निर्माण के पश्चात दोनों किनारों पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantaiton की जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

6 यह मार्ग मैखाली – खिनसर मोटर मार्ग के किमी0 03 से प्रारम्भ है। जिसका विवरण वन भूमि प्रस्ताव के प्रारूप–11 में किया गया, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

पूर्व में इस खण्ड द्वारा हार्ड कापी भारत सरकार को प्रेषित कि गई है, जिसके अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

14/9/21
(इं0 सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण

पत्रांक 1254/1LA तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 7वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

14/9/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गैरसैंण

Phone N0/ Fax No: 01363.278533 Mail: eeedgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 900 // स्ल0प्र0 दिनांक 27/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय— जनपद—चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव—लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/9811/2015)**

सन्दर्भः— उप महानिरीक्षक, वन (के0) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 8 बी./यू.सी.पी./06/282/2015/एफ.सी./893 दिनांक 21.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा 1 बिन्दु पर जानकारी चाही गई थी जिनका प्रतिउत्तर भारत सरकार तक न पहुँचने के कारण मार्ग पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही हो पा रही है (पत्र की छायाप्रति संलग्न, संलग्नक—1)। भारत सरकार के देहरादून कार्यालय से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि बिना उपरोक्त पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित किये मार्ग पर विधिवत स्वीकृति प्रदान नही की जा सकती है, जिसके क्रम में उक्त एक बिन्दु का प्रतिउत्तर निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	विवरण	प्रतिउत्तर
1.	"NPV bill for Rs. 20,20,000/- is found submitted with proposal but amount deposited against NPV Is Rs. 18,18,440. State Govt. may clarify this discrepancy and do the needful."	मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं NPV(घनत्व 0.5) हेतु प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा आंकलित धनराशि के अनुसार जमा किया गया है (पत्र की छायाप्रति संलग्न, संलग्नक 2)।

अतः निवेदन है भारत सरकार से मांगी गई जानकारी को उपरोक्तानुसार अपनी ओर से उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करेंगे ताकि मार्ग में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार संलग्नक 1 से 2 तक।

27/07/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गैरसैंण, चमोली।

संलग्नक – 1

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/282/2015/एफ0 सी0/893 दिनांक 21/10/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– चमोली के अर्न्तगत मैखोली से नलगांव–लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/9811/2015)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 946/FP/UK/ROAD/9811/2015 दिनांक 06-10-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2020 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन पश्चात् यह पाया गया है कि बिन्दु क0 05 का उत्तर नहीं दिया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.09.2020 के बिन्दु क0 5 जो कि निम्नानुसार है की अनुपालना आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।

"NPV bill for Rs. 20,20,000/- is found submitted with proposal but amount deposited against NPV is Rs.18,18,440. State Govt. may clarify this discrepancy and do the needful."

इसके अतिरिक्त प्रस्ताव आनलाईन इस कार्यालय में प्रेषित नहीं हुआ है अतः राज्य सरकार इसे आनलाईन प्रेषित करना सुनिशिचत करें, तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

sd/-

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

i/c

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

संलग्नक -2

607/ILA
18-7-2018

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 101 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 11 जुलाई 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो.नि0वि0,
गैरसैंण।

विषयः– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव-वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 है0 भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं एन.पी0वी0 की धनराशि निम्नाँनुसार जमा की जानी है।

कसं0	जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल(है0 में)	दर प्रति है0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4.304	2,78,665.00	1199374.00
2	एन0पी0वी0 (घन्तव 0.5)	2.152	845000.00	18.18,440.00

अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

मैखोली से नलगॉव - प्योंरी - वसीसेन मोटर मार्ग।

83/M/11836/30.12.15

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 27-12-2018

Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	6198110674
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/282/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD Gairsain Chamoli
Amount(in Rs)	3017814/-

Amount in Words :Thirty Lakh Seventeen Thousand Eight Hundred and Fourteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896198110674 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

y send a line of confirmation through

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

910/ILA
22-11-18

– आदेश –

जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव–लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.152 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.304 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/282/2015/एफ0सी0/2169 दिनांक 14.03.2018 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैंण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव–लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.152है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम सिलंगी** प0वृ0 पंचाली तहसील गैरसैंण की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–11 के खसरा सं0–302 रकवा 0.095 है0, खसरा सं0–304 रकवा 0.126 है0, खसरा सं0–984 रकवा 0.800 है0, खसरा सं0–1001 रकवा 0.545 है0 मध्ये 0.486 है0 कुल 1.507 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं एवं **ग्राम डडियाल गांव** प0वृ0 पंचाली की खा0ख0सं0–5 के खसरा सं0–442 रकवा 0.058 है0, खसरा सं0–460 रकवा 0.100 है0, खसरा सं0–466 रकवा 0.128 है0, खसरा सं0–517 रकवा 0.168 है0, खसरा सं0–519 रकवा 2.343 है0 कुल 2.797 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, अर्थात कुल 4.304 है0 भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 784/छब्बीस–04 (2018–2019) गोपेश्वरः दिनांकः02 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैंण।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, गैरसैंण।

जिलाधिकारी,
चमोली।

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

—सर्वापूर्व—   540.534

योग:- 28 6.274 3113॥=

योग करो 9(क) 28 6.274 3113॥=

(5) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि:-

85	बंजर	10.0101	आतिसम
		67.0016	इमिसालगांव
		405.0021	-॥-
		412.0058	-॥-
		430.0021	तारीमीर
		436.0021	-॥-
		438.0008	-॥-
		440.0050	-॥-
		442.0[illegible]	-॥-
		445.0021	-॥-
		451.0086	-॥-
		460.0100	पैदारा
		462.0013	तारीमीर
		466.0128	-॥-
		468.0043	-॥-

— मन्दर्ध —

471 0.049	तोरागीर
473 0.056	—॥—
476 0.058	—॥—
48[illegible] 0.15	—॥—
483 0.015	डाग
485 0.19	—॥—
486 0.015	—॥—
488 0.040	गतिमार
492 0.045	—॥—
493 0.020	तोरागीर
495 0.024	पैढारा
504 0.035	—॥—
✓ 517 0.168	—॥—
✓ 519 2.343	—॥—
522 0.049	काडली सिमार
525 0.13	—॥—
534 0.68	केमूतिरा

मो0 323.774 ९ट्टा॥

आदेश

मुताबिक आदेश कार्यालय जिलाधिकारी महोदय चमोली सं0 784/ द0बीस-04(2018-2019) गोपेश्वर दिनांक 02 नवम्बर 2018 के आदेशानुसार एवं तत्क्रम मे तहसीलदार महोदय गैरसैंण के आदेश के अनुपालन मे शासनादेश सं0 2173/XVIII(II) 2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेडी वासीसैम मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.152 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज मे ग्राम डंडियाल गांव पटवारी क्षेत्र पंचाली तहसील गैरसैंण के खतौनी खाता सं0 5 के खसरा नं0 442 रकबा 0.058 है0 खसरा नं0 460 रकबा 0.100 है0 खसरा नं0 466 रकबा 0.128 है0 खसरा नं0 517 रकबा 0.168 है0 खसरा नं0 519 रकबा 2.343 है0 कुल 2.797 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष मे नामान्तरण/हस्तान्तरण होने पर उपरोक्त आदेशानुसार अमलदरामद किया।

ह0 [illegible]
21/01/19
रा0उ0नि0
पंचाली

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेड़ी बांसी सेम लगा अक्स्वाड़ा तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

S.no.	Longitude	Latitude
42	79° 16' 57.485" E	30° 2' 18.207" N
43	79° 16' 55.923" E	30° 2' 17.046" N
44	79° 16' 54.312" E	30° 2' 16.068" N
45	79° 16' 54.980" E	30° 2' 15.665" N
46	79° 16' 55.103" E	30° 2' 15.252" N
47	79° 16' 55.217" E	30° 2' 13.857" N
48	79° 16' 54.472" E	30° 2' 13.211" N
49	79° 16' 53.395" E	30° 2' 13.072" N
50	79° 16' 53.412" E	30° 2' 12.282" N
51	79° 16' 55.723" E	30° 2' 12.681" N
52	79° 16' 55.749" E	30° 2' 14.221" N
53	79° 16' 55.919" E	30° 2' 15.095" N
54	79° 16' 56.295" E	30° 2' 16.220" N
55	79° 16' 57.138" E	30° 2' 17.089" N
56	79° 16' 58.036" E	30° 2' 17.739" N
57	79° 16' 59.364" E	30° 2' 18.836" N
58	79° 17' 0.245" E	30° 2' 19.790" N
59	79° 17' 0.862" E	30° 2' 20.300" N
60	79° 17' 1.300" E	30° 2' 20.674" N
61	79° 17' 0.794" E	30° 2' 21.071" N

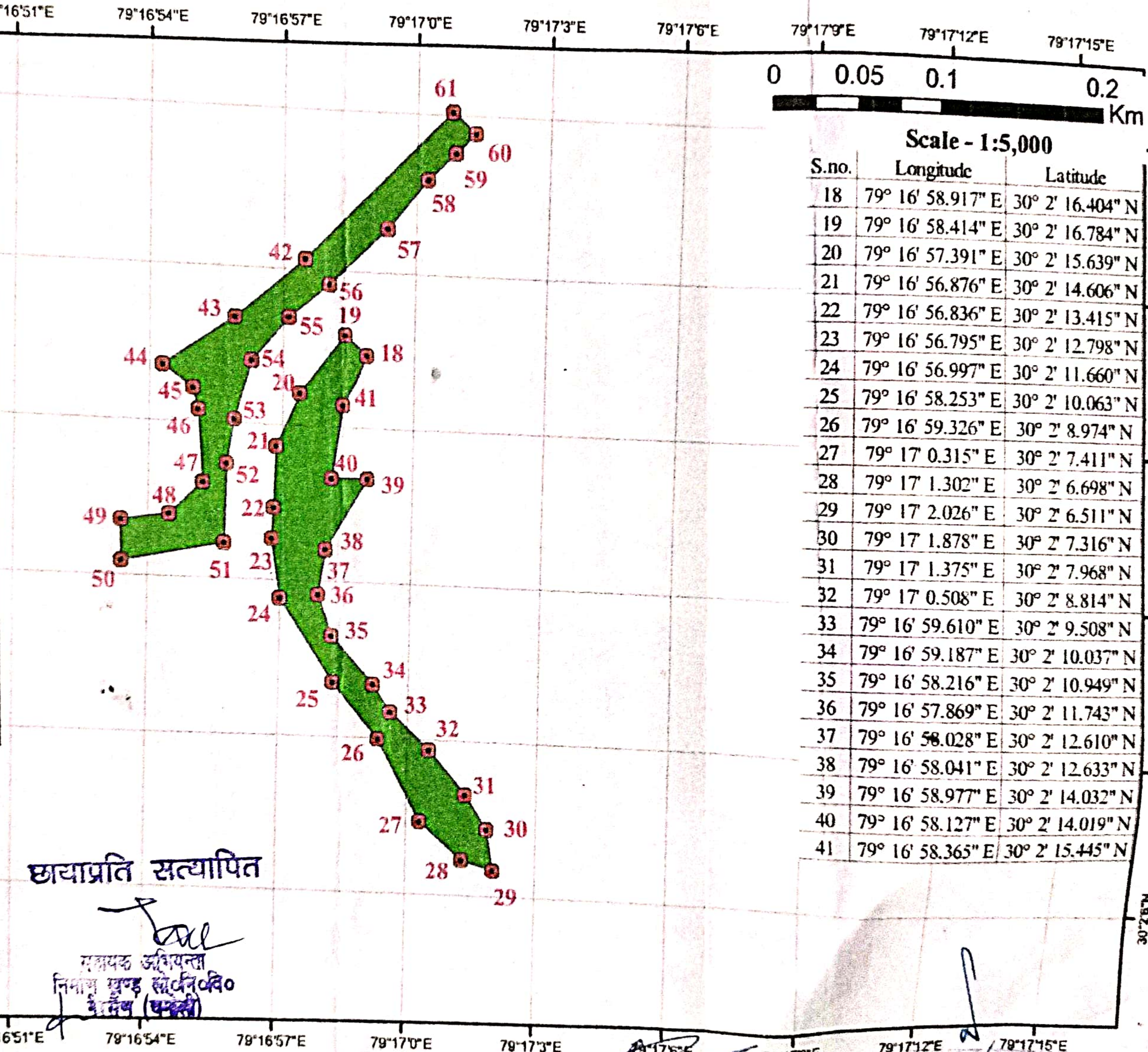

Scale - 1:5,000

S.no.	Longitude	Latitude
18	79° 16' 58.917" E	30° 2' 16.404" N
19	79° 16' 58.414" E	30° 2' 16.784" N
20	79° 16' 57.391" E	30° 2' 15.639" N
21	79° 16' 56.876" E	30° 2' 14.606" N
22	79° 16' 56.836" E	30° 2' 13.415" N
23	79° 16' 56.795" E	30° 2' 12.798" N
24	79° 16' 56.997" E	30° 2' 11.660" N
25	79° 16' 58.253" E	30° 2' 10.063" N
26	79° 16' 59.326" E	30° 2' 8.974" N
27	79° 17' 0.315" E	30° 2' 7.411" N
28	79° 17' 1.302" E	30° 2' 6.698" N
29	79° 17' 2.026" E	30° 2' 6.511" N
30	79° 17' 1.878" E	30° 2' 7.316" N
31	79° 17' 1.375" E	30° 2' 7.968" N
32	79° 17' 0.508" E	30° 2' 8.814" N
33	79° 16' 59.610" E	30° 2' 9.508" N
34	79° 16' 59.187" E	30° 2' 10.037" N
35	79° 16' 58.216" E	30° 2' 10.949" N
36	79° 16' 57.869" E	30° 2' 11.743" N
37	79° 16' 58.028" E	30° 2' 12.610" N
38	79° 16' 58.041" E	30° 2' 12.633" N
39	79° 16' 58.977" E	30° 2' 14.032" N
40	79° 16' 58.127" E	30° 2' 14.019" N
41	79° 16' 58.365" E	30° 2' 15.445" N

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेड़ी बांसी सेम लगा अक्स्वाड़ा तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

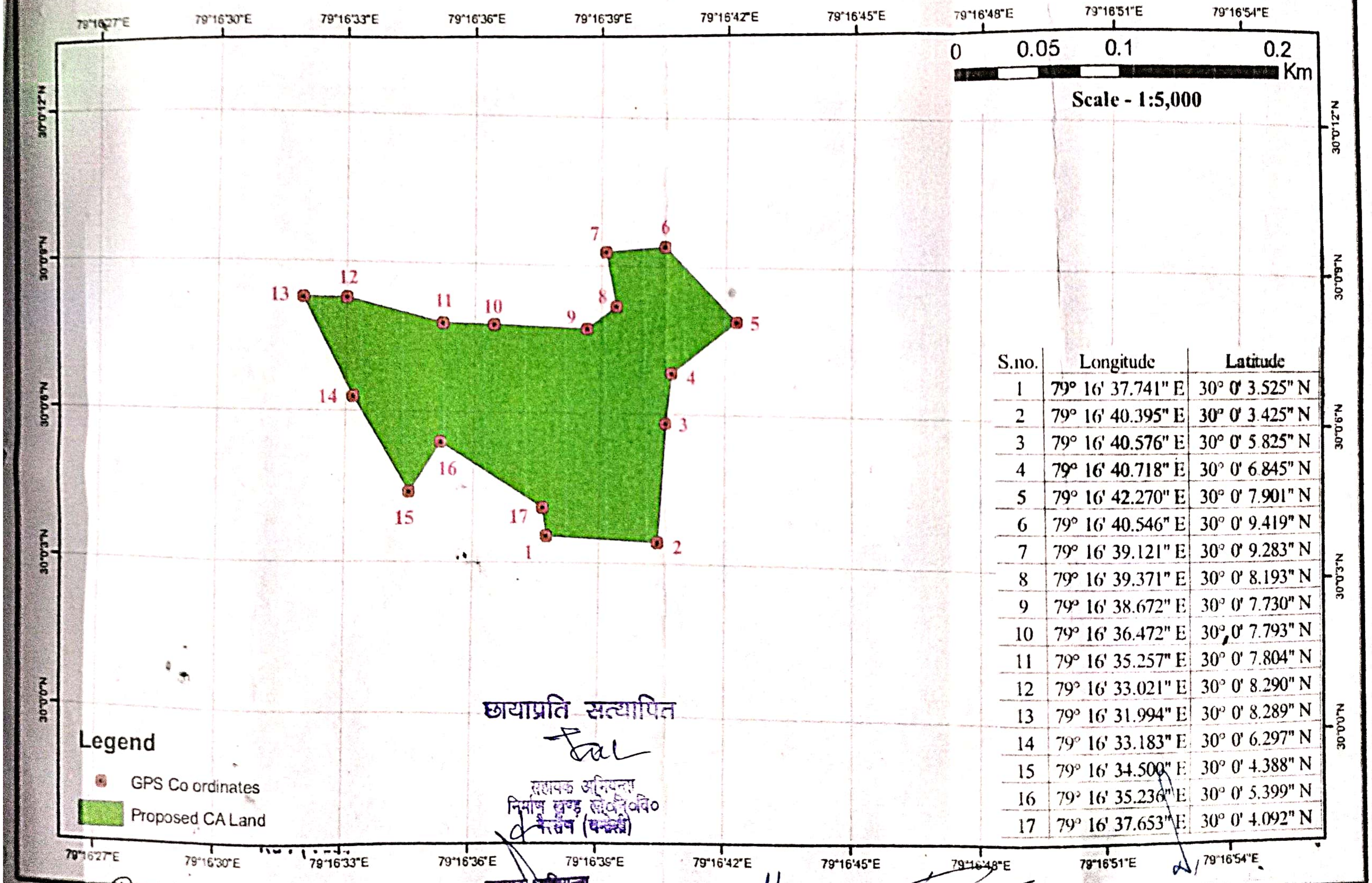

S.no.	Longitude	Latitude
1	79° 16' 37.741" E	30° 0' 3.525" N
2	79° 16' 40.395" E	30° 0' 3.425" N
3	79° 16' 40.576" E	30° 0' 5.825" N
4	79° 16' 40.718" E	30° 0' 6.845" N
5	79° 16' 42.270" E	30° 0' 7.901" N
6	79° 16' 40.546" E	30° 0' 9.419" N
7	79° 16' 39.121" E	30° 0' 9.283" N
8	79° 16' 39.371" E	30° 0' 8.193" N
9	79° 16' 38.672" E	30° 0' 7.730" N
10	79° 16' 36.472" E	30° 0' 7.793" N
11	79° 16' 35.257" E	30° 0' 7.804" N
12	79° 16' 33.021" E	30° 0' 8.290" N
13	79° 16' 31.994" E	30° 0' 8.289" N
14	79° 16' 33.183" E	30° 0' 6.297" N
15	79° 16' 34.500" E	30° 0' 4.388" N
16	79° 16' 35.236" E	30° 0' 5.399" N
17	79° 16' 37.653" E	30° 0' 4.092" N

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

वनक्षेत्राधिकारी

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली में मैखोली खिनसर से नलगाव लखेडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल – 2.586 है0)

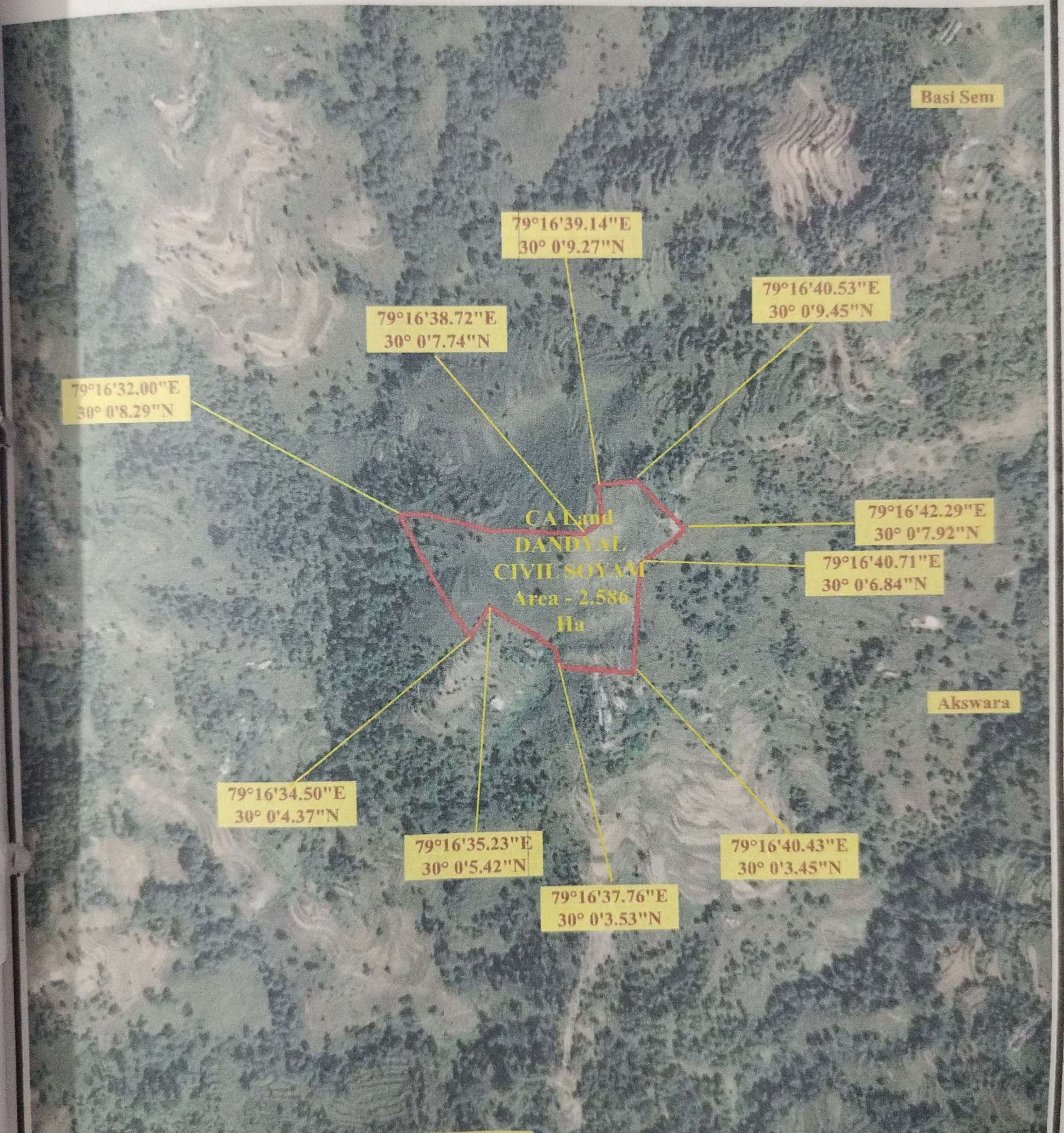

Legend

CA Land DANDYAL CIVIL SOYAM Area - 2.586 Ha

वन क्षेत्राधिकारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D Gairsain

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य/जीव प्रभाग
गोपेश्वर

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली में मैखोली खिनसर से नलगाव लखेडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल – 1.718 है0)

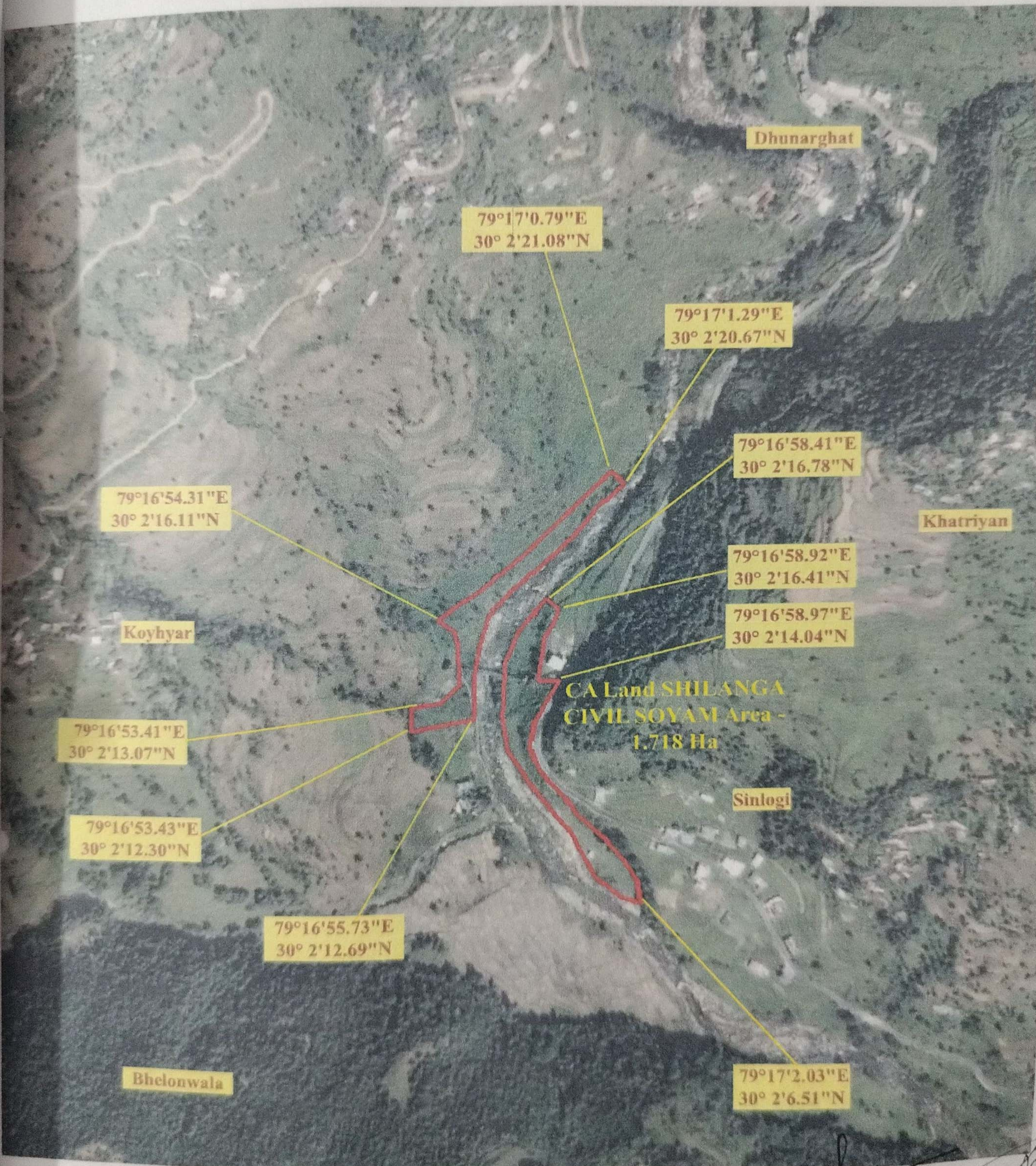

Legend

CA Land SHILANGA CIVIL SOYAM
Area - 1.718 Ha

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

Executive Engineer
Construction Division
P W D Gairsain

वन क्षेत्राधिकारी

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपश्वर

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेड़ी बांसी सेम लगा अक्स्वाड़ा तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

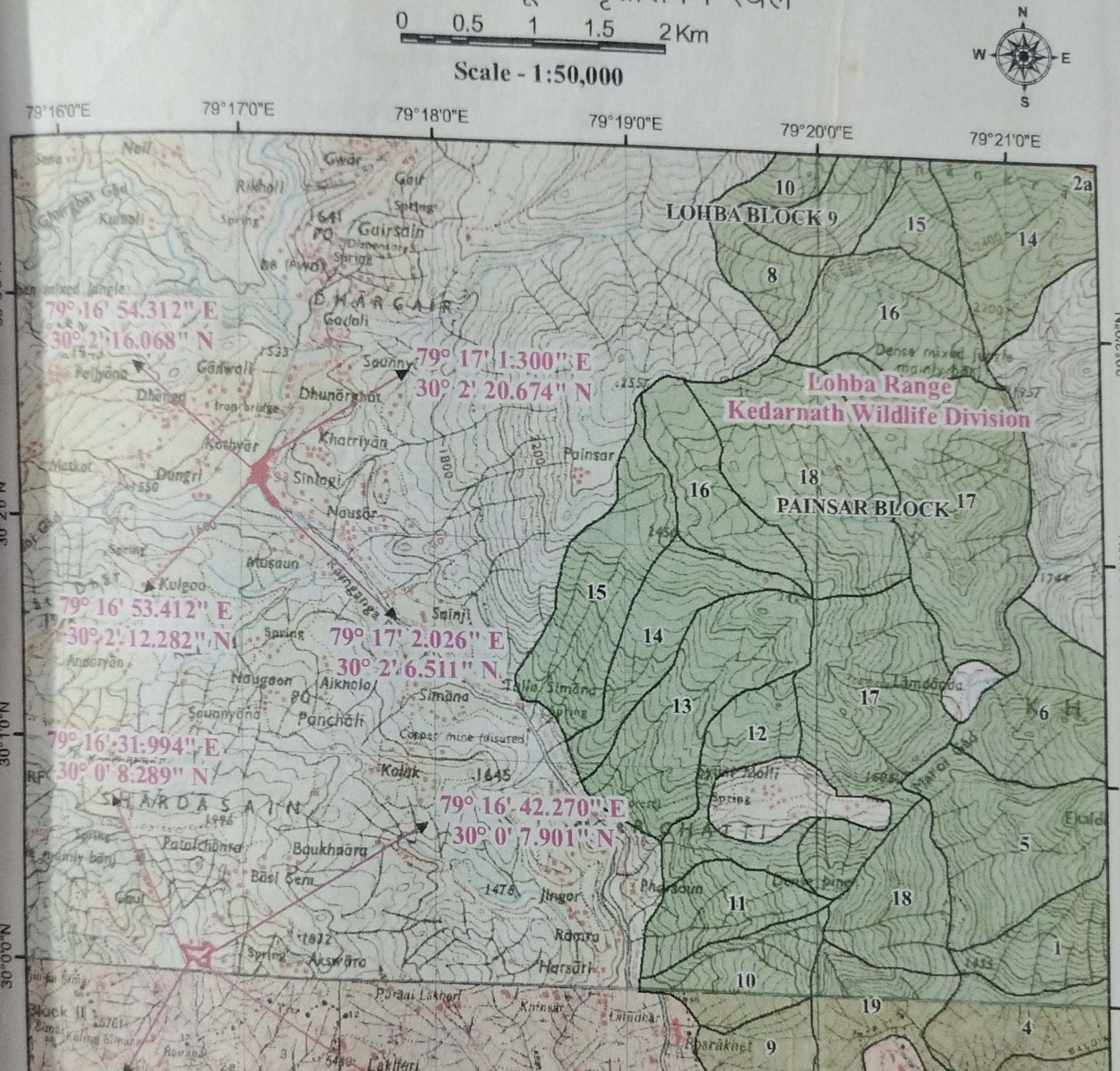

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वनक्षेत्र गैरसैण

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली में मैखोली खिनसर से नलगाव लखेडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल – 4.304 है0)

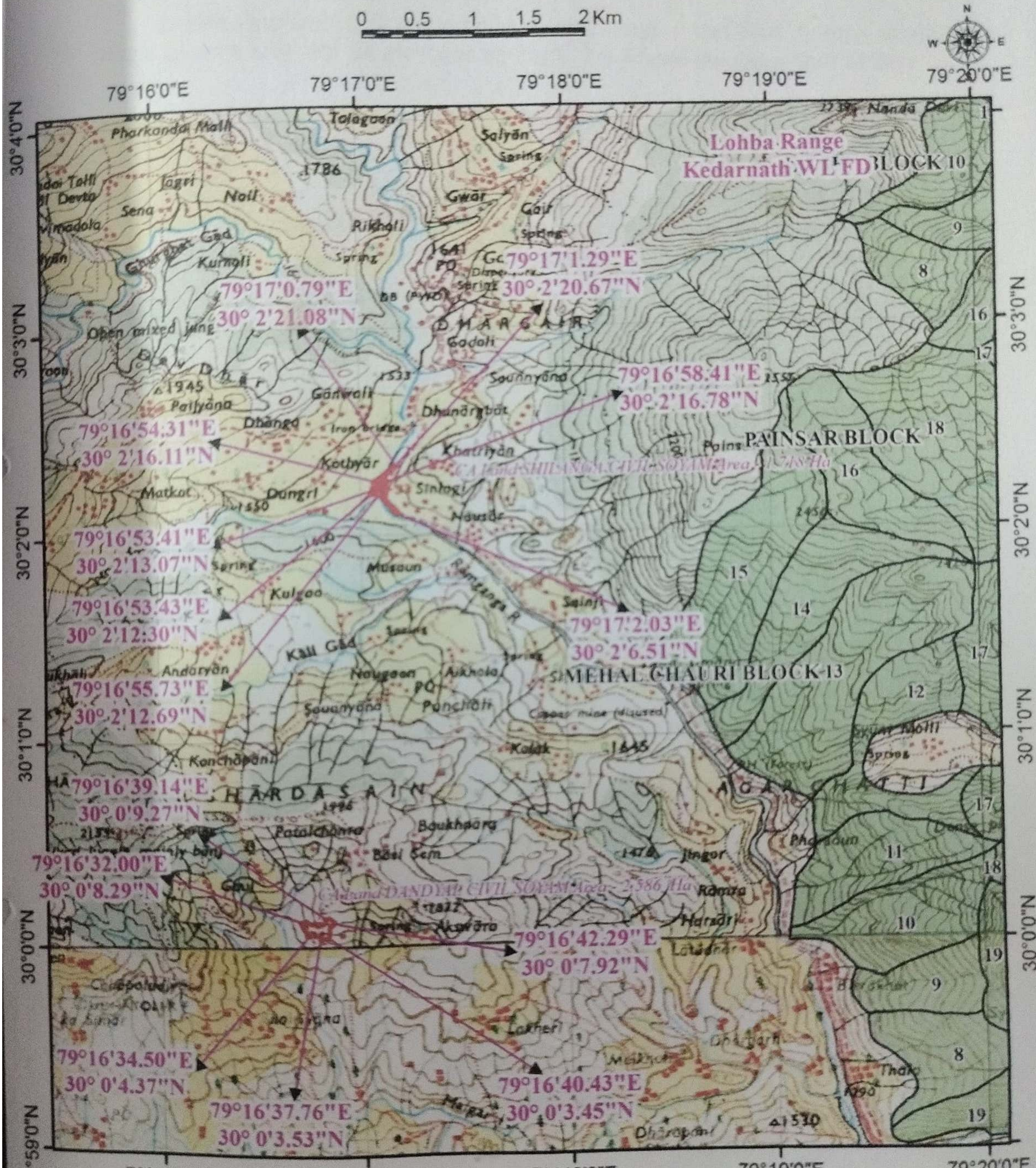

Legend

- Proposed CA Land 4.304 Ha.
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

Executive Engineer
Construction Division
P W D Gairsain

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेन्ज गैरसैंण

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

“Central Verge का प्रमाण – पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि सडक निर्माण के पश्चात जहां – जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख – रेख में strip plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, गैरसैंण	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, गैरसैंण	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, गैरसैंण

अनापत्ति प्रमाण पत्र

54

आज दिनाँक 16/11/11 को मैखोली से नलगाँव लखेडी मोटर मार्ग की लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। उक्त स से हम सभी ग्रामवासी सहमत है। तथा मोटर मार्ग सर्वेक्षण पर जो भी नामभू एवं सिबिल भूमि आ रही है उस को देने में हम सहमत है। तथा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। ह समस्त ग्रामवासी सर्वेक्षण से पूर्ण रूप सहमत है। तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है।

हीरादेवी

(1) प्रतापसिंह
(2) [illegible]
(3) Mayar Singh
(4) [illegible]सिंह
कुंवरसिंह
[illegible] सिंह
(7) [illegible]सिंह
(8) [illegible]
(9) [illegible]
(10) रघुवीरसिंह
(11) मंगलसिंह
(12) रणजीतसिंह
(13) मनवरसिंह

सदस्य
जिला पंचायत चमोली
वार्ड कोठा-15

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

58

Government Of Uttarakhand

Office Of the District Collector : Chamoli

No.........................

Dated...................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settiement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dewellers (Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects.It is certified that 2.767Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Maikholi to Nalgaw Lakhedi to Rohida Motor Road 6.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.767 Hect of civil area proposed for diversion .A copy of recoreds of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(S.A. Murugesan District Magistrate Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

51

प्रारूप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.152** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D** (name of user agency) for **Construction Of Maikholi to Nalgaon-Lakheri-Vasisem-Rohira M/R** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of **Nalgaon, Lakheri and Vasisem** villages in **Gairsain** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for
the entire 2.152 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

Dated-----

No--- --

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.152 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PWD Gairsain** (name of user agency) for **Construction Of Maikholi to Nalgaon-Lakheri-Vasisem-Rohira M/R** (purpose for diversion of forest land) in **Chamoli** district falls within jurisdiction of **Nalgaon, Lakheri and Vasisem** villages in **Gairsain** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried
out for the entire 2.15 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Nalgaon, Lakheri and Vasisem** villages are enclosed.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

61

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Chamoli** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ...............I.A.S deputy commissioner,. .... on dated .... at time ....at .... in which application claiming rights in **Gairsain** area measuring **2.152** hect for the construction of **Maikholi to Nalgaon-Lakheri-Vasisem-Rohira** M/R forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Nalgaon, Lakheri and Vasisem** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..................

Dated:...............

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (चमोली)

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.00 किमी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग वन पंचायत भूमि 2.152 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.152 हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैंण) की दिनांक 3/1/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ________, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी गैरसैंण अध्यक्ष
2– श्री सुरेन्द्र लाल उप प्रभागीय वनाधिकारी गैरसैंण सदस्य
3– श्री सुरेन्द्र लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी गैरसैंण सदस्य/सचिव
4– श्री नन्दी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र लखेडी वासीसेम सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मैखोली से नलगांव लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.152 हे0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेडी वासीसेम मो0मा0 परियोजना के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण
जनपद चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

62

परियोजना का नाम :– मैरवोली से जलगांव - लखेड़ी वासीसेम से रोहिड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — लखेड़ी
तहसील— गैरसैंण, जिला— चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला— चमोली —उत्तराखण्ड में
जलगांव लखेड़ी वासीसेम से रोहिड़ा मो० मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (———— हे0 आरक्षित वन भूमि, —शून्य— हे0 सिविल सोयम भूमि 2.152 हे0, वन पंचायत भूमि ———हे0) अर्थात कुल 2.152 हे0 वन भूमि का —लो0 नि0 वि0— विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —लखेड़ी— द्वारा दिनांक 8/1/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम —लखेड़ी— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि —लो0 नि0 वि0— प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/– [signature]
ग्राम प्रधान
दि0 8/1/2015

प्रधान ग्राम पंचायत लखेड़ी

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

[signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

प्रपत्र–23.1

दिनांक ....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ......लखेडी......

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	प्रतापसिंह S/ बख्तावरसिंह	[illegible]
②	कुंवरसिंह S/ प्रतापसिंह	कुंवरसिंह
③	[illegible] S/ [illegible] सिंह	[illegible] सिंह
④	हीरा सिंह S/ केदार सिंह	HQ
⑤	खुशाल सिंह S/ [illegible] सिंह	खुशाल सिंह
⑥	कुंवर सिंह S/ गोविन्द सिंह	[illegible] सिंह
⑦	[illegible] सिंह S/ [illegible] सिंह	[illegible] सिंह
8	रघुवीर सिंह S/ सोवन सिंह	रघुवीर सिंह
⑨	नाग सिंह S/ मदन सिंह	नाग सिंह
10	[illegible] S/ [illegible]	[illegible] सिंह

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

प्रारुप–34

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगाँव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। लम्बाई 6.00 कि0मी0।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
Assistant Engineer
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली ।

प्रारुप–39

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगाँव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। लम्बाई 6.00 कि0मी0।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्‌टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्‌टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत मैरकोटी जरोगाँव लखेडी कालीमाठ मोटर ग्राम रोडी के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

Jeet Singh

नाम– श्रीजीत सिंह S/o चन्द्र सिंह
ग्राम– लखेडी

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम प्रधान

...स्थान .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम– लखेडी पटवारी वृत्त .... तहसील गैरसैण जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्रसं0	खाता खतौनी नं0	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
	2	3	4	5
01	03	1156	0.011 हे0	0.011 हे0

अमीन
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

पटवारी
रा0 उप निरीक्षक
गैरसैण
चमोली
15/11/15

तहसीलदार
गैरसैण (चमोली)

उपजिलाधिकारी
गैरसैण
जनपद चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत गैरसैंण .... लस्कोड़ी ....
ग्राम .... के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

कुंवरसिंह
नाम– कुंवर सिंह s/o गोविन्द सिंह
ग्राम– लस्कोड़ी

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम प्रधान

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ...)

...न .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम– लस्कोड़ी .... पटवारी वृत्त .... तहसील गैरसैंण जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0	खाता खतौनी नं0	खसरा नम्बर	लिया गया रकबा	भूमि
	2	3	4	5
02	7	722	0.008 हे0.	0.008 हे0

अमीन
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

राजस्व उप निरीक्षक 5/11/15
गैरसैंण
जिला – चमोली

तहसीलदार
(गैरसैण चमोली)

उपजिलाधिकारी
गैरसैण
चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत [handwritten] के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी ग्राम [handwritten]...... भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम– [handwritten]
ग्राम [handwritten]

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम प्रधान

स्थान .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम– [handwritten] पटवारी वृत्त .... तहसील गैरसैण .... जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	खाता खतौनी नं0	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
1	2	3	4	5
03	5	1321	0.046 हे0.	0.046 हे0

अमीन
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

पटवारी
जिला – चमोली

तहसीलदार
गैरसैण(चमोली)

उपजिलाधिकारी
गैरसैण
चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत भैरखोली .... नागीसैण ....

ग्राम .... के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण / मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम– श्रीमती पुष्पा देवी w/o ....

ग्राम– नागीसैण ....

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत .... ह० .... मो० .... वि० ख० गैरसैण (चमोली)

.... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम .... पटवारी वृत्त .... तहसील गैरसैण .... जिला चमोली .... के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	खाता खतौनी नं0	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
1	2	3	4	5
01	11	733	0.014	0.014 हे०

अमीन
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

पटवारी क्षेत्र
....
गैरसैण
जिला – चमोली

तहसीलदार
गैरसैण (चमोली)

उपजिलाधिकारी
गैरसैण, चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत मैठोटी .... गांव ....
म ..कोटिया.... के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम– कुपालसिंह
ग्राम– रतनसिंह

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम प्रधान

न .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम– .... पटवारी वृत्त .... तहसील.......गैरसैंण....... जिला.........चमोली......... के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

सं0	खाता खतौनी नं0	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
	2	3	4	5
05	11	696	0.034 हे0	0.34 हे0

अमीन
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।
P.W.D. Gairsain

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

पटवारी क्षेत्र 15/11/15
गैरसैंण
चमोली

तहसीलदार
गैरसैण (चमोली)

उपजिलाधिकारी
गैरसैण
चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत मैरवोली भवौव देवी ... के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी ...म ...रोहिया... अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। मै विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

M.S. Rawat

नाम– मेहरबान सिंह S/o श्री ...
ग्राम– दोबा सिंह – ग्राम – ...

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम प्रधान

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ... ह० ... दि० ... वि० ख० गैरसैंण (चमोली))

...म .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम– ... पटवारी वृत्त .... तहसील......गैरसैंण...... जिला......चमोली...... के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

...	खाता खतौनी नं0	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
	2	3	4	5
06	11	694	0.024 हे0	0.024 हे0

अमीन
... खण्ड लो0नि0वि0
...सैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।
(मुहर: Assistant Engineer, Construction Division, P.W.D. Gairsain)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

...क्षेत्र ... 15/1/15
... गैरसैंण ...
... – चमोली

तहसीलदार
गैरसैण (चमोली)

उपजिलाधिकारी
गैरसैण, चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैंण (चमोली)

प्रपत्र-40

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि गैरसैंण– मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के जनवरी महीने की 15 तारीख को निष्पादित किया गया है।

- यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/ मक डिस्पोजल हेतु जायी जानी है। नको वर्तमान सवीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य कास विभाग के नाम किया जायेगा।
- यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर ध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम ल्लिखित तारीख, माह वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

म– इं0 के0सी0आर्या
नाम– अधिशासी अभियन्ता
र्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण

नाम भूमिधर	पिता का नाम	हस्ताक्षर
1– जीत सिंह	चन्द्र सिंह	Jeet Singh
2– कुंवर सिंह	गोविन्द सिंह	कुंवर सिंह
3– शंकर सिंह	धर्म सिंह	[illegible]
4– भूपाल सिंह	रतन सिंह	भूपाल सिंह
5– महेरबान सिंह	[illegible] सिंह	M. S. Rana

[signature] उप जिलाधिकारी गैरसैंण

[signature] तहसीलदार गैरसैंण (चमोली)

[signature] उप जिलाधिकारी गैरसैंण जिला-चमोली

प्रारुप–51

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगाँव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। लम्बाई 6.00 कि0मी0।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैण, चमोली।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैण, चमोली।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैण चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

प्रारुप–54

परियोजना का नाम– जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगाँव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। लम्बाई 6.00 कि0मी0।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

[illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी / अभिवन संरक्षक
केदार... गोपेश्वर, चमोली।
गोपेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोवर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली ।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
[illegible]